संख्या: 21/2020/1403/12-2-2020-309/2007

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 अगस्त, 2020

विषय: प्रदेश की प्रमुख फसलों के उत्पादन, क्षेत्रफल व उत्पादकता का आंकलन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 2139/12-2-2019-309/2007 दिनांक 19 अगस्त, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत फसलों के क्षेत्रफल एवं उपज के सही-सही अनुमान का आंकलन किए जाने हेतु जनपद में कार्यरत अधिकारियों को पडताल तथा क्राप कटिंग प्रयोगों का कटाई स्तर पर स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग के लेखपालों द्वारा प्रत्येक मौसम यथा खरीफ/रबी एवं जायद में फसलों की पडताल की जाती है। पडताल से प्राप्त आंकडों के आधार पर फसलों के क्षेत्रफल का आंकलन किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि फसलों की पडताल सही-सही करायी जाये ताकि फसलों के क्षेत्रफल का आंकलन सही-सही किया जा सके। जनपद स्तर पर फसलों के पडताल की जनपदीय अधिकारियों से अधिक से अधिक जांच कराये जाये तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाये। यह आवश्यक होगा कि फसल कटाई के प्रयोगों की समय से विस्तृत रूप से रूप-रेखा तैयार की जाए एवं उसके अनुरूप कार्य किया जाए।

3. फसलों की उपज के अनुमानों का आंकलन उन पर आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। इन प्रयोगों के सही-सही सम्पादन से ही उपज का सही अनुमान आंकलित किया जा सकेगा तथा प्रदेश में फसलों के उत्पादन का सही अनुमान आंकलित करना सम्भव हो सकेगा। फसलों की उपज के अनुमान के आधार पर प्रदेश में संचालित फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमित कृषकों की फसलों की क्षति का आंकलन करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है इसलिए फसलों के उपज के अनुमान का सही आंकलन किया जाना अत्यन्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवश्यक है। अत: फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त परिणाम के आधार पर उत्पादकता के सही आंकलन के लिए कटाई स्तर पर जनपदीय अधिकारियों से फसल कटाई प्रयोगों का अधिक से अधिक संख्या में निरीक्षण कराना अतिआवश्यक है। साथ ही इस कार्य की प्रगति की समीक्षा भी समय-समय पर किया जाना आवश्यक होगा। इससे इस कार्य की समय से प्राप्त परिणामों की गुणवत्ता एवं सुतथ्यता भी सुनिश्चित हो सकेगी। प्रदेश तथा भारत सरकार द्वारा फसलों के आच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु कई महत्वाकांक्षी योजनायें चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा तभी सम्भव हो सकेगी जब फसलों के आच्छादन की सही-सही पडताल करते हुए क्षेत्रफल का आंकलन किया जाये तथा फसलों पर सही-सही फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन कराते हुए उपज के सही अनुमान आंकलित किए जायें।

4. अतएव जनपद में फसलों की सही-सही पडताल कराते हुए इसकी अधिक से अधिक जांच भी करायी जाये। फसलों की कटाई प्रयोगों के सही-सही सम्पादन हेतु जनपदीय अधिकारियों द्वारा अधिक संख्या में स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये जिससे कि फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का सही-सही आंकलन हो सके। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए समय से सही-सही पडताल तथा फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:21/2020/ 1403(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
राधेश्याम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।